राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020–21/ दि. : 26/6/20
13166–78

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा ।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पाडोला पं.सं. आनंदपुरी में 36 डोरमेट्री, डायनिग हॉल, खेल मैदान विकास,ट्यूबवेल एवं OSHR निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना एफ 1(2) निदे./स्वच्छ/2020–21/का पत्रांक 578–79 दिनांक 22.06.2020 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पाडोला पं.सं. आनंदपुरी में 36 डोरमेट्री, डायनिग हॉल, खेल मैदान विकास,ट्यूबवेल एवं OSHR निर्माण हेतु स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रू. 465.82 लाख का प्राप्त हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पाडोला पं.सं. आनंदपुरी में प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं का विकास का विवरण निम्नानुसार है:–

Amount Rs in lacs

S.No.	Name of Work	Amount
1	Part (A) - Construction of 24 No. Dormatory at 1st Floor & 2nd Floor on existing Boys Hostel Building	207.61
2	Part (B) - Construction of 12 No. Dormatory at 1st Floor on existing Girls Hostel Building	101.67
3	Part (C) - Construction/ Extension of dinning hall at First floor on existing dinning hall Building	76.09
4	Part (D) - Basketball Court, Sports Ground Development With interlocking Tiles Kerb Stone & Construction of Track etc.	12.45
5	Part (E) - Construction of tube well With GI Pipe, overhead water reservior , solar Street light ,CCTV camera , inverter, China Mosaic Work on roof	19.40
	Total	417.21
	Add 1.5% Contigency Charges	6.26
	Sub Total	423.47
	Add 10 % Establishment Charges	42.35
	Grand Total	465.82

स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रू. 465.82 लाख की प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–3 मे वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या–5 में वर्णित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।

राशि लाखो मे)

क्र.स.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	बांसवाडा	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पाडोला पं.सं. आनंदपुरी में 36 डोरमेट्री, डायनिंग हॉल, खेल मैदान विकास, ट्यूबवेल एवं OSHR निर्माण	P.O./Swach Banswara/Technical/ 2020-21/764/22.06.2020	465.82

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019–20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रू. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि

रूपये 465.82 लाख की 50 प्रतिशत राशि 232.91 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. **रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावें।**
4. नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू–जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।**सफल जल स्त्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही** अग्रिम कार्य/व्यय **कराया जावे**।ट्यूबवेल वेधन/जल स्त्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम **कार्य/व्यय नही किया जावे।**
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्ता पूर्वक** किया जावें।
6. स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
9. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

-sd-

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S

आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/13166-78 दिनांक : 26.06.2020

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा ।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बड़ी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019–20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रू. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 465.82 लाख की 50 प्रतिशत राशि 232.91 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करावे।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, बांसवाडा ।
7. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पाडोला पं.सं. आनंदपुरी जिला बांसवाडा ।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in,Website www.tad.rajasthan.gov.in